PRIVATE SECTOR INVESTMENT IN POWER GENERATION

*277. SHRI SANGH PRIYA GAUTAM :

DR. NAUNIHAL SINGH : Will the Minister of POWER be pleased to state :

(a) what are the details of the standard rules of investment by private sector for power generation;

(b) whether it is a fact that the criteria for selecting the investor has been distorted to favour the Ambanis, if not, the justification adopted by Government in this case may be given; and

(c) whether it is also a fact that though Ambanis have no experience in this field, yet they have been preferred at the expense of National Thermal Power corporation; if so, what are the reasons therefor ?

THE MINISTER OF POWER (SHRI N.K.P. SALVE) : (a) Government of India has introduced a policy to encourage greater private sector participation in the electricity generation, supply and distribution. The policy framework in this regard broadly envisages :—

(i) The Private Companies entering the electricity sector will be allowed a debt to equity ratio of 4:1.

(ii) The promoter's contribution should be at least 11 per cent of the total outlay.

(iii) Not more than 40 per cent of the total outlay can come from Indian Public Institutions.

(iv) Foreign equity may go upto 100 per cent.

(v) Tax holiday for all power units commissioning before 1-4-1998 for 1st five years of operation on 100 per cent profits and for the next five years on 30 per cent profits.

Detailed normative parameters have also been notified.

(b) and (c) No, Sir.

विशिष्ट एवं आधुनिक संचार सेवाएं

*278. **मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशिष्ट एवं आधुनिक संचार सेवाओं की उपलब्धता का ब्यौरा क्या है, और

(ख) इस संबंध में सरकार की भविष्य और निकट भविष्य के लिए कौन-कौन सी योजनाएं हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम)

(क) संचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट और आधुनिक सेवाएं :

संचार के क्षेत्र में निम्नलिखित विशेषीकृत और आधुनिक सेवाएं हैं :--

(i) इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज से डाइनैमिक एस. टी. डी., आटोमैटिक वैक-अप, काल वेटिंग, काल फारवर्डिंग और हाट लाइन सुविधा जैसी "फोन-प्लस" सेवाएं ।

(ii) 8 एम बी पी एस तक वायस और डाटा संचार के लिए लीज्ड लाइन सेवाएं ।

(iii) लम्बी दूरी उपग्रह टेलीफोन सेवा ।

(iv) 'इनमरसेट" उपग्रह का प्रयोग करते हुए भूमि सचल उपग्रह सेवाएं ।

(v) बाहर के कुछ देशों को स्वदेश सीधी सेवा ।

(vi) अन्तर्राष्ट्रीय इलैक्ट्रानिक मेल और पैकेट स्विचन सेवा ।

(vii) भारत में सार्वजनिक डाटा नेटवर्क इनेट का प्रयोग करते हुए डाटा संचार सेवाएं ।

(viii) कार सचल टेलीफोन सेवा ।

(ix) रेडियो पेजिंग सेवा ।

(x) वायस मेल सेवा ।

(ख) विभाग ने निम्नलिखित की शुरुआत करने की भी योजना बनाई है :-

(i) नई प्रौद्योगिकी के स्विचों का प्रयोग करते हुए इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क (आई एस डी एन) ।

(ii) अन्तर्राष्ट्रीय इलैक्ट्रानिक डाटा इंटरचेंज सेवा ।

(iii) देश के कुल 69 शहरों तक सार्वजनिक डाटा नेटवर्क इनेट का विस्तार करना ।

(iv) विभाग ने दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के चार शहरों में भारतीय पंजीकृत कंपनियों को सेल्यूलर मोबाइल सेवा के प्रचालन और भारत के 27 बड़े शहरों में रेडियो पेजिंग सेवा प्रदान करने के लिए विशेषाधिकार देने का निर्णय लिया है । इन सेवाओं को अन्य क्षेत्रों तक बढ़ाने की योजनाएं भी बनाई गई हैं । अन्य मूल्यवर्धित सेवाओं के लिए गैर विशिष्ट (नान-एक्सक्लूसिव) आधार पर विशेषाधिकार देने के लिए भारतीय पंजीकृत कंपनियों से लगातार प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं और उनका मूल्यांकन किया जा रहा है ।

TONERS IMPORTED THROUGH UNDER-INVOICING

*279. SHRI SOM PAL :

SHRI SARADA MOHANTY : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) what is the progress made so far in regard to collecting the information specifically on toners imported through under-invoicing, extent of duty evasion, imports in the guise of carbon black and imports of inferior quality toners;

(b) whether any action has been taken/proposed to be taken for curbing such unlawful imports; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY) : (a) to (c) No import of toners in the guise of Carbon Black has been detected. However, in some cases the value declared by the importers was enhanced for assessment of the duty.

All field formations have been alerted and have been supplied data of values from the manufacturers abroad.

विदेशी सहायता का उपयोग न किया जाना

*279-क. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**

डा. विश्व कुमार जैन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 नवम्बर, 1993 के "फाइनेंशियल एक्सप्रेस" में डालर 4 बिलियन एंड "नयूट्रीलाइज्ड-शुल्क" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त वित्तीय सहायता का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो रहा है ;

(ग) क्या सरकार ने उक्त सहायता का पूर्ण उपयोग करने के लिए वर्तमान प्रणाली में सुधार करने के लिए कोई कार्यवाही की है, और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद) :

(क) जी, हां ।

(ख) अधिकांश विदेशी सहायता विशिष्ट परियोजनाओं से सम्बद्ध होती है और इस प्रकार संवितरण परियोजना कार्यान्वयन अनुसूची से जुड़े होते हैं । प्रत्येक परियोजना के वास्तविक कार्यान्वयन की गति में अंतर होता है । तथापि, किसी विशेष वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान उपयोग में न लाई गई ऋण की राशि सामान्यतः व्यपगत नहीं होती और उसे अनुवर्ती वर्षों में उपयोग के लिए अग्रेनीत कर लिया जाता है ।

(ग) और (घ) बहुत सी परियोजनाओं पर विदेशी सहायता का उपयोग अपर्याप्त रहा है । पूरक निधियों का अपर्याप्त प्रावधान प्राप्तियों में विलम्ब, भूमि अधिग्रहण की समस्याएं, विनिमय

*पूर्वतः तारांकित प्रश्न 260, 20 दिसम्बर 1993 से स्थानान्तरित ।